आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
	शस्त्र वाद सं. 104/2014	
18/12/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, पिता–श्री माधवेन्द्र कुमार सिंह, सा0–सोनपुर नखास, थाना–सोनपुर, जिला–सारण** **आदेश** प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5463/गो0 10.12.14 के द्वारा प्रेषित आवेदक ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, पिता–श्री माधवेन्द्र कुमार सिंह, सा0–सोनपुर नखास, थाना–सोनपुर, जिला–सारण के द्वारा एक रिवॉल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति हेतु दिए गए आवेदन पत्र के जॉचोपरान्त प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात् आरम्भ किया गया है। आवेदक की उपस्थिति में सुनवाई की गई एवं अभिलेख में संधारित पुलिस जॉच प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया गया। आवेदक के द्वारा बताया गया कि वे बिहार सरकार के विभिन्न विभागों एवं रेलवे में ठिकेदारी का कार्य करते हैं। इनका ग्राम दियरा क्षेत्र के किनारे अवस्थित है। ठिकेदारी के कार्य से देर रात्रि तक इन्हें बाहर जाना पड़ता है। इसलिए अपने जानमाल की सुरक्षा हेतु शस्त्र की अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर जॉचोपरान्त पुलिस थानाध्यक्ष, सोनपुर के डी.आर. 634 दिनांक 21.5.12, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर के ज्ञापांक 1000 दिनांक 25.5.12, अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक 1127 दिनांक 11.7.12 एवं अंचलाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक 533 दिनांक 23.6.12 के द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5463/गो0 दिनांक 10.12.14 के द्वारा उक्त अभिलेख को प्रेषित किया गया। दिनांक 11.12.14 को आवेदक की उपस्थिति में सुनवाई की गयी। अभिलेख में संधारित कागजातों का परिसीलन किया गया। परिसीलनोपरान्त पाया गया कि पुलिस प्रतिवेदन में आवेदक के जानमाल पर खतरे की आशंका से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन अंकित नहीं है। अतः पुलिस अधीक्षक, सारण से स्पष्ट प्रतिवेदन की	

मॉग की गयी, जिसके आलोक में पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5567/गो० दिनांक 17.12.14 के द्वारा थानाध्यक्ष, सोनपुर के ज्ञापांक डी.आर. 1329 दिनांक 14.12.14 एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर के ज्ञापांक 3019 दिनांक 15.12.14 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन को संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया।

पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार, आवेदक बिहार सरकार के विभिन्न विभागों एवं रेलवे में ठिकेदारी का कार्य करते हैं। ठिकेदारी के कार्य से इन्हें देर रात्रि तक घर से बाहर रहना पड़ता है, इसलिए इनके जानमाल पर खतरे की आशंका बनी रहती है। पुलिस अधीक्षक, सारण के द्वारा उक्त प्रतिवेदन को अनुशंसा के साथ प्रेषित किया गया है।

अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलनोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक के कारोबार की वजह से इनके जानमाल पर खतरे की आशंका व्यक्त की गयी है। थानाध्यक्ष, सोनपुर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर के प्रतिवेदन एवं पुलिस अधीक्षक, सारण की अनुशंसा के आलोक में शस्त्र अधिनियम की धारा 13 (2–ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-Arms dated 31-3-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 3026 दिनांक 13.4.2010 के द्वारा प्राप्त है, के आलोक में आवेदक ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, पिता–श्री माधवेन्द्र कुमार सिंह, सा0–सोनपुर नखास, थाना–सोनपुर, जिला–सारण को सम्पूर्ण बिहार क्षेत्र में वैधता के साथ एक रिवॉल्वर की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 15/न्या० दिनांक 07/01/2015

प्रतिलिपि – पुलिस अधीक्षक, सारण / जिला शस्त्र दण्डाधिकारी सारण / DIO, NIC, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।